

प्रेस नोट दिनांक 05.07.2021

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 01.07.2021 को शराब विक्रेता के मुनीम से हुई 06 लाख 95 हजार रुपये की लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट करने वाले गिरोह के 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में घायल होने के उपरांत एवं अन्य 02 अभियुक्तों को चैकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड में अवैध असलहा, लूटी हुई नगदी व आभूषण सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के कुशल मार्गदर्शन में एसओजी इटावा. थाना इकदिल पुलिस एवं थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस की टीम द्वारा दिनांक 01.07.2021 को शराब विक्रेता के मुनीम से हुई 06 लाख 95 हजार रुपये की लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट करने वाले गिरोह के 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान एवं अन्य 02 अभियुक्तों को थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड में अवैध असलहा, लूटी गई नगदी व आभूषण सहित गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.07.2021 को वादी/ पीडित विनय कुमार पुत्र राजबहादुर निवासी पशूपुरा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी द्वारा जनपद इटावा में विभिन्न स्थानों से शराब ठेकों से शराब विक्री के रूपयों को एकत्रित कर लाते समय अपने साथ कस्बा इकदिल के पास एनएच2 ओवर ब्रिज के ऊपर 03 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा तमंचा लगाकर 06 लाख 95 हजार रुपये लूट लेने की सूचना दी गई थी । सूचना के आधार पर तत्काल थाना इकदिल पुलिस द्वारा उक्त लूट के संबंध में थाना इकदिल पर मु०अ०सं० 187/21 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

उक्त लूट की घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया था । गठित टीमों द्वारा घटना के संबंध में निरंतर

कार्यवाही करते हुए इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों को संकलित किया गया। संकलित साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की पहचान की गई। पहचान के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही के क्रम में एसओजी एवं थाना इकदिल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 01.07.2021 को हुई लूट के अभियुक्त परशूपुरा से निकलने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा परशूपुरा पर बैरीकेटिंग कर सघनता से चैकिंग शुरू की गई। चैकिंग के दौरान कुछ देर बाद परशूपुरा की तरफ से एक मोटर साइकिल आती हुई दिखाई दी जिस पर 03 व्यक्ति सवार थे पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटरसाइकिल सवार लोगों को रूकने का इशारा किया गया तो पुलिस को देखकर मोटर साइकिल सवार अपनी मोटर साइकिल को तेजी से हाइवे से लिंक रोड पर चांदनपुर गांव की ओर भगाते हुए ले गये। पुलिस टीम को मोटरसाइकिल सवारों पर संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा आरटी सेट के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के भागने की जानकारी दी गयी जिसके संबंध में कंट्रोल रूम द्वारा जनपद के अन्य थानों को भी बदमाशों के भागने के बारे में अवगत कराते हुए समस्त थाना प्रभारियों को अपने- अपने थाना क्षेत्रों में सघनता से चैकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया।

मोटरसाइकिल सवार बदमाशों का पीछा कर रही एसओजी एवं थाना इकदिल पुलिस की टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर उनका पीछा किया गया। अपने आप को पुलिस से धिरता हुआ देखकर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किये गये जिससे एक गोली प्रभारी एसओजी के बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी जिसमें प्रभारी एसओजी एवं अन्य पुलिस टीम बाल- बाल बच गई और पुलिस द्वारा आत्मरक्षा करते हुए मोटरसाइकिल सवारों पर जबावी फायरिंग की गई जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों में से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जिसके कारण वह घायल होकर वहीं चांदनपुर लिंक रोड के पास गिर गया जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया एवं अभियुक्त के पास से 01 लाख 50 हजार रूपये नगद व अन्य सामान बरामद किये गया। अन्य दो बदमाश रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में

सफल रहे । घायल बदमाश को पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार देकर अन्य उपचार हेतु जिला अस्पताल इटावा भर्ती कराया गया ।

इसी क्रम में कन्ट्रोल रूम से बदमाशों के भागने की सूचना प्रसारित होने पर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने- अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग करायी जा रही थी जिसमें थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस द्वारा कोकपुरा अंडर पास पुल पचावली रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को दो व्यक्ति यशोदानगर की ओर से कोकपुरा अंडरपास की ओर पैदल- पैदल आते हुए दिखाई दिये । पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों से रुकने का इशारा करने पर दोनों व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया । पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध प्रतीत होने पर दोनों व्यक्तियों का पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों व्यक्तियों द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर अवैध असलहों से फायरिंग की गई जिसमें पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया गया ।

पुलिस पूछताछ- थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों की पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उनके कब्जे से असलहा एवं 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए असलहा के संबंध में पुलिस द्वारा लाइसेंस मांगने पर वह व्यक्ति लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे । पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों से बरामद रूपयों के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोगों ने अपने साथी मनोज कुमार उर्फ बंटी के साथ मिलकर दिनांक 01.07. 2021 को शराब विक्रेता के मुनीम से कस्बा इकदिल के पास रूपयों की लूट की थी । अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनो एवं हमारे साथी मनोज कुमार उर्फ बंटी की कोल्ड स्टोर के पास चांदनपुर रोड पर पुलिस से मुठभेड हो गई थी जिसमें हमारे साथी मनोज कुमार उर्फ बंटी गोली लगने से घायल हो गया जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और हम दोनों लोग रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनोज कुमार उर्फ बंटी पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी नगला गजा थाना भरथना इटावा ।
2. रवी कुमार पुत्र उपदेश निवासी नगला नया थाना इकदिल इटावा ।

3. सुरजीत सिंह पुत्र कोमल सिंह निवासी नगला नया थाना इकदिल इटावा ।

बरामदगी-

1. 02 लाख रूपये नगद (लूटे हुए)
2. 02 तमंचा 315 बोर
3. 03 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 04 जिंदा कारतूस 315 बोर
5. 01 मोटरसाइकिल डिस्कवर बिना नम्बर
6. 01 कान की बाली
7. 01 चैन पीली धातु
8. 01 माला मूंगेदार

आपराधिक इतिहास-

1. मनोज कुमार उर्फ बंटी पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी नगला गजा थाना भरथना इटावा ।

1. मु0अ0सं0 327/2000 धारा 279,337,338 भादवि थाना भरथना
2. मु0अ0सं0 29/06 धारा 302 भादवि थाना भरथना
3. मु0अ0सं0 260/07 धारा 395 भादवि थाना भरथना
4. मु0अ0सं0 195/14 धारा 110 जी गुंडा एक्ट थाना इकदिल

2. रवी कुमार पुत्र उपदेश निवासी नगला नया थाना इकदिल इटावा ।

1. मु0अ0सं0 259/21 धारा 307(पु0मु0),412 द0प्र0क्षे0 अधि0 फ्रें0का0
2. मु0अ0सं0 260/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट फ्रे0का0
3. मु0अ0सं0 242/21 धारा 392,411 भादवि थाना फ्रें0का0
4. मु0अ0सं0 189/21 धारा 307(पु0मु0) थाना इकदिल

3. सुरजीत सिंह पुत्र कोमल सिंह निवासी नगला नया थाना इकदिल इटावा ।

1. मु0अ0सं0 259/21 धारा 307(पु0मु0),412 द0प्र0क्षे0 अधि0 फ्रें0का0
2. मु0अ0सं0 261/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट फ्रे0का0
3. मु0अ0सं0 242/21 धारा 392,411 भादवि थाना फ्रें0का0
4. मु0अ0सं0 189/21 धारा 307(पु0मु0) थाना इकदिल

पुलिस टीम- प्रथम टीम- निरीक्षक रमेश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 बेचन कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस, उ0 नि0 सतीश यादव एसओजी टीम मय टीम ।

द्वितीय टीम- श्री जीवाराम यादव प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल मय टीम ।

तृतीय टीम- श्री उपेन्द्र सिंह यादव प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेंड्स कालोनी मय टीम ।

नोट- उक्त लूट की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा **25000 रूपये** के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा